[ 2022 ] 7 S. C. R. 577

वल्लाल आरसीके

**विरूद्ध.**

**मेसर्स शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड व अन्य**

**( सिविल अपील क्रमांक- 1811-1812/ 2022 )**

**3 जून, 2022**

**[ न्यायमूतिर् बी. आर. गवई और हिमा कोहली, ]**

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016: धारा 12 क - धारा 7 के अंतर्गत ग्रहण आवेदन की वापसी - तथ्यों के आलोक में, धारा 7 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को धारा 12 क सहपठित विनियमन 30 क के अंतर्गत आवेदन वापसी,इसको दृष्टिगत रखते हुए कि निगमित ऋणदाता के संप्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना, जिसे लेनदारों की समिति द्वारा 94.23% मतांशों से अनुमोदित किया गया था- एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने आवेदन को खारिज कर दिया गया- अपील में अभिनिर्धारित**:** जब 90 प्रतिशत और उससे अधिक लेनदारों के द्वारा अपने ज्ञान से उचित विचार-विमर्श के पश्चात यह पाते है कि प्रबधंन की अनुमति एवं सीआईआरपी को वापस लेना सभी हितधारकों के हित में होगा, तब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण सीओसी के वाणिज्यिक बृद्धिमता पर अपील में नहीं बैठ सकते है- न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण का हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार योग्य होगा, जब यह पाते है कि सीओसी का निर्णय पूरी तरह से मनमाना, तर्कहीन, अव्यवस्थित तथा नियमों और विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है- वर्तमान मामले में, सीओसी का समाधान योजना के पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार-विमर्श के पश्चात व्यावसायिक बुद्धिमता का उपयोग करते हुए निर्णय लिया गया था - अतएव, एनसीएलटी और एनसीएलएटी का हस्तक्षेप उचित नहीं है - दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता, भारतीय दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 - विनियमन 30 क

**अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने**

**अभिनिर्धारित किया: 1.1 आईबीसी की धारा 12 क, को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम क्रमांक 26) के माध्यम से विधिक रूप दिया गया था। 2018 के अधिनियम क्रमांक 26 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह प्रकट होता है कि 2016 में आईबीसी के लागू होने के पश्चात, आईबीसी को आगे और**

बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार ने आईबीसी की कार्य पद्धति और क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक दिवाला विधि समिति का गठन किया। एसओआर से यह प्रकट हुआ कि उक्त समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार आईबीसी में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित संशोधनों में एक प्रावधान न्यायनिर्णय प्राधिकारी के द्वारा सीआईआरपी के प्रारंभ करने के लिये ग्रहण आवेदन की वापसी का था। यह सिफारिश की गई कि, इस प्रकार की निकासी की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते सीओसी 90% मतांश के द्वारा ऐसी कार्रवाई को अनुमोदित करें। [कंडिका 12]

1.2 आईबीसी की धारा 12 क का विधिक स्वरूप उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था । यद्यपि 2018 का संशोधन अधिनियम क्रमांक 26 द्वारा, समाधान योजना के अनुमोदन के लिए सीओसी के 75% मत अंश के हिस्से को घटाकर 66 % कर दिया गया था, आईबीसी की धारा 12 क जिस प्रावधान को उक्त संशोधन के द्वारा ही लाया गया था, जिसके अंतर्गत, सीआईआरपी को वापस लेने की मंजूरी के लिए सीओसी के 90% मतांश की आवश्यकता बताई गई । इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जहां तक सीआईआरपी को वापिस लेना का प्रश्न है, तो एक कठोर प्रावधान किया गया है। [कंडिका 16]

1.3 विनियमन 30 क के अवलोकन से प्रकट होता है कि जहां आईबीसी की धारा 12 क के तहत वापसी के लिए आवेदन समिति के गठन के बाद किया जाता है, उसे अंतरिम समाधान वृतिक या समाधान वृतिक, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से किया जाना चाहिए। आवेदन फार्म-एफ ए में करना होगा। इसमें अग्रिम प्रावधान है कि विनियम 36 क, के तहत हितो की अभिरूचि के लिए आमंत्रण जारी होने के पश्चात कोई आवेदन किया जाता है, तो आवेदक को उक्त आवेदन को वापस लेने का उचित कारण बताये जाने की आवश्यकता होती है। आरपी को ऐसे आवेदनों को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आवेदनों को समिति के द्वारा 90% मतांश के अनुमोदित किये जाने के उपरांत ही, आरपी इसे समिति की अनुमोदन के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 2016 के विनियमों के विनियम 30 क, के तहत भी एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है । [ कंडिका 18]

1.4 यदि सीओसी मनमाने ढंग से एक न्यायसंगत समाधान और/या वापसी के दावे को अस्वीकार कर देता है, तो एनसीएलटी और उसके पश्चात एनसीएलएटी आईबीसी के प्रावधानों के तहत इस तरह के निर्णय को सदैव अपास्त कर सकता है [ कंडिका 20]

1.5 आईबीसी द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर बताई गई प्रक्रियाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिऐ सीओसी के वाणिज्यिक बुद्धिमता को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के

सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है। एक आंतरिक धारणा है कि वित्तीय ऋणदाताओं को निगमित देनदार की उपयुक्तता एवं प्रस्तावित समाधान योजना की व्यवहार्यता की पूरी जानकारी होती है। वे प्रस्तावित समाधान योजना के तहत गहन जांच और अपने विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर कार्य करते है। [ कंडिका 21]

1.6 आईबीसी की धारा 12 क के प्रावधानों को आईबीसी की धारा 30 (4) की तुलना में ओर अधिक कठोर बनाया गया है जबकि आईबीसी की धारा 30 (4) की समाधान योजना के अनुमोदन के लिये सीओसी के 66% मतो की आवश्यकता होती है। सीआईआरपी की वापसी के लिये आईबीसी की धारा 12 क के तहत 90% आवश्यकता है। [ कंडिका 23]

1.7 जब 90 प्रतिशत और उससे अधिक लेनदारों के द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद यह पाते है कि प्रबंधन की अनुमति एवं सीआईआरपी को वापस लेना सभी हितधारकों के हित में होगा, तब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण सीओसी के वाणिज्यिक बुद्धिमता पर अपील में नहीं बैठ सकते। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण का हस्तक्षेप उन दशाओं में स्वीकार योग्य होगा जब यह पाया जाता है कि सीओसी का निर्णय पूरी तरह से मनमाना, तर्कहीन, अव्यवस्थित तथा नियमों और विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है। [ कंडिका 24]

1.8 वर्तमान मामले में, सीओसी की 13 वीं, 14 वीं और 15 वीं बैठकों की कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विचार करते समय सीओसी के सदस्यों के बीच व्यापक विचार - विमर्श हुआ था। इतना ही नहीं, कार्यवाही से यह भी प्रकट होता है कि सीओसी के कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद, अपीलार्थी द्वारा समाधान योजना में उपयुक्त संशोधन किए गए थे। सीओसी के 23.60% मतांशों वाले सदस्यों में से एक ने हालांकि प्रारंभ में समाधान योजना का विरोध किया, लेकिन बाद में इसका समर्थन करने का फैसला किया। तदनुसार, एनसीएलटी ने स्वयं आरपी को सीओसी की बैठक फिर से बुलाने का निर्देश दिया। एनसीएलटी के निर्देशों के अनुसार, सीओसी की 17 वीं बैठक पुनः बुलाई गई, जिसमें समाधान योजना को 94.23% मतांशों की अनुमोदित किया गया। [ कंडिका 25]

1.9 सीओसी का निर्णय तब लिया गया जब सीओसी के सदस्यों के द्वारा समाधान योजना के पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के लिए उचित विचार-विमर्श किया एवं अपने व्यावसायिक बुद्धिमता का उपयोग करते हुए निर्णय लिया था। अतएव, सीओसी के व्यावसायिक बुद्धिमता को उचित महत्व न दिया जाना के लिये, न तो एनसीएलटी और न ही एनसीएलएटी को उचित ठहराया जा सकता है। एनसीएलएटी द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश को विखंडित एवं अपास्त किया जाता है; और समाधान वृतिक द्वारा सीआईआरपी को

**वापस लेने के हेतु एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी जाती है। [कंडिका 26,28]**

स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम संघ भारत और अन्य **(2019) 4 एससीसी 17: [ 2019 ] 3 एससीआर 535**; के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य **( 2019 ) 12 एससीसी 150:[2019] 3 एससीआर 845**; की समिति एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाता अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता v. सतीश कुमार गुप्ता और अन्य **( 2020 ) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एससीआर 275;** महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड वी। पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य **( 2020 ) 11 एससीसी 467: [ 2020 ] 2 एस. सी. आर. 1157**; कल्पराज धर्मशी और एक अन्य वी बनाम कोटक निवेश सलाहकार लिमिटेड एंड अन्य **(2021) 10 एससीसी 401;** जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य **(2022)1 एस. सी. सी. 401;** अरुण कुमार जगतरामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड एंड अदर **(2021)7 एससीसी474** संदर्भित लिया गया है।

न्याय दृष्टांतों का संदर्भ लिया गया।

| | | |
|---|---|---|
| [ 2019 ] 3 SCR 535 | सदर्भित किया गया है | कंडिका 19 |
| [ 2019 ] 3 SCR 845 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 21 |
| [ 2019 ] 16 SCR 275 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 21 |
| [ 2020 ] 2 SCR 1157 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 21 |
| [ 2021 ] 10 SCR 401 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 21 |
| [ 2022 ] 1 SCR 401 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 21 |
| [ 2021 ] 7 SCR 474 | संदर्भित किया गया है | कंडिका 27 |

**सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील क्रमांक- 1811- 1812/ 2022**

कंपनी अपील (एटी)(सीएच)(इंस) क्रमांक-211 और 212/2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायधिकरण, चेन्नई बेंच, चैन्नई के निर्णय और आदेश दिनांक 28-01-2022 से

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, पी. एच. अरविंद पांडियन, वरिष्ठ अधिवक्ता , अंकुर कश्यप, अजीत एस. रंगनाथन, आविष्कार सिंघवी, रोहित राजरशी, अविनाश कृष्णन रवि, अमन बजाज, आदर्श प्रकाश, नावेद अहमद।

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनीश आर. शाह, के. आर. सम्राट, अभिषेक स्वरूप, शशांक मनीष, पलाश अग्रवाल।

**न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, द्वारा निर्णय पारित किया गया।**

1. वर्तमान अपीले दिनांक 28 जनवरी 2022 को पारित राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई पीठ, चेन्नई ( एतिस्मनपश्चात "एनसीएलएटी" के रूप में संदर्भित) कंपनी अपील (एटी) (सीएच) (दिवाला) क्रमांक -211 और 212/2021, के समेकित निर्णय को चुनौती देती हैं। जिसके माध्यम से वर्तमान अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई। जिसमें विद्वान राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, डिवीजन बेंच-II, चेन्नईद् चेन्नई (एतिस्मनपश्चात "एनसीएलएटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 12 अगस्त 2021 के दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। जिस आदेश के माध्यम से समाधान वृतिक (Resolution professional in short "आरपी") के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संक्षेप में आईबीसी) की धारा 12 क सहपठित विनियमन 30 क दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता, भारतीय दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 ( एतिस्मनपश्चात "2016 विनियमन") समाधान योजना के आलोक में आईबीसी की धारा 7 के अतंर्गत ग्रहण आवेदन को वापस लेने का आवेदन निरस्त कर दिया गया था। अपीलार्थी ने उक्त दिनांक को ही विद्वान एनसीएलएटी द्वारा पारित उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी द्वारा मैसर्स शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड प्रत्यथी क्रमांक -1 ( एतिस्मनपश्चात "निगमित देनदार" के रूप में संदर्भित किया गया है) के संबंध में परिसमापन कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश देने वाले विद्वान एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।

2. वर्तमान अपील में संक्षिप्त विचारणीय बिंदु यह है कि, क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) या अपीलीय प्राधिकरण (एनसीएलएटी) के लेनदारों की समिति (एतिस्मनपश्चात "सीओसी" के रूप में संदर्भित) के व्यावसायिक बुद्धिमता पर अपील में बैठ सकता है अथवा नहीं।

3. वर्तमान अपीलों को उत्पन्न करने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने निगमित देनदार के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (एतस्तिमन पश्चात "सीआईआरपी " से संबोधित) प्रारंभ करने के लिये आईबीसी की धारा-7 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। विद्वान एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 4 जुलाई 2019 के माध्यम से

उक्त आवेदन को ग्रहण कर लिया था। जिसके परिणामस्वरूप, निगमित देनदार के संबंध में सीआईआरपी प्रांरभ की गई। आरपी ने सीओसी के समक्ष एक संकल्प योजना प्रस्तुत की थी जो मेसर्स रॉयल पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यद्यपि, चूंकि उक्त योजना को सीओसी में केवल 60.90% मत प्राप्त हुए और वह 66 % मत प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए उक्त योजना को अनुमोदित नहीं किया जा सका।

4. आरपी ने 8 मई 2020 को निगमित देनदार के परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग करते हुए आईबीसी की धारा 33 (1) (ए) के अंतर्गत आईए/837/आईबी/2020 का आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी, जो निगमित ऋणदाता का प्रवर्तक है, ने आईबीसी की धारा 60 (5) के अंतर्गत एनसीएलटी के समक्ष आईए/647/आईबी./2020 के रूप में एक समाधान आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें एकमुश्त समाधान योजना की पेशकश करने की अपनी इच्छा दिखाई गई। अपीलार्थी ने सीओसी को उसके द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना की शर्तों पर विचार करने के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग की। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर विचार करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक 2020 तक सीओसी की 13 वीं, 14 वीं और 15 वीं बैठकें आयोजित की गईं। उक्त समाधान योजना के संबंध के बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अंतिम समाधान प्रस्ताव पर 18 जनवरी 2021 को आयोजित अपनी 16 वीं बैठक में सीओसी द्वारा विचार किया गया। प्रारंभ में, उक्त समाधान योजना को केवल 70.63% मत प्राप्त हुए थे। यद्यपि बाद में, वित्तीय लेनदारों में से एक अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एतिस्मनपश्चात "आईएआरसीएल" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 23.60% के मतांश के साथ उक्त समाधान योजना को अनुमोदन देने का निर्णय किया और आरपी को इसके बारे में सूचित किया।

5. चूंकि उक्त निपटान योजना को 90 % से अधिक मतदान अंश के द्वारा अनुमोदित किया गया था , इसलिए आरपी ने आईएआरसीएल के अनुरोध के आधार पर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 29 मार्च 2021 के आदेश के अंतर्गत, विद्वान एनसीएलटी ने आरपी को आदेश दिया कि सीओसी की बैठक दोबारा बुलायी जायें एवं आईएआरसीएल का ई-मेल उसके समक्ष रखा जायें। तदनुसार, 17 वीं सीओसी बैठक 1 अप्रैल 2021 को बुलाई गई थी, जिसमें उक्त समाधान योजना को मतदान के बहुमत के साथ अनुमोदित किया गया था। तदनुसार,आरपी ने आईबीए/453/2019 में एमए/43/सीएचई/2021 के रूप में एक आवेदन विद्वान एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें सीओसी द्वारा उक्त समाधान योजना के अनुमोदन को देखते हुए निगमित देनदार के विरूद्ध प्रारंभ किए गए सीआईआरपी को वापस लेने की मांग की गई।

6. विद्वान एनसीएलटी ने 12 अगस्त 2021 के अपने आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त समाधान योजना आईबीसी की धारा १२ए के तहत एक समाधान योजना न होकर एक

व्यवसायिक पुर्नगठन योजना थी, इस कारण से समाधान योजना के अनुमोदन एवं सीआईआरपी को वापिस लेने का आवेदन खारिज कर दिया। उक्त दिनांक के ही एक अन्य आदेश के द्वारा, विद्वान एनसीएलटी ने आईए/837/आईबी/2020 में निगमित देनदार की परिसमापन प्रक्रिया भी प्रारंभ की। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने एनसीएलएटी के समक्ष दो अपीले प्रस्तुत की। दिनांक 28 जनवरी 2022 के समेकित आलोच्य निर्णय के द्वारा इसे भी निरस्त कर दिया गया। इसलिये वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

7. इस न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2022 को वर्तमान अपीलों में नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पर भी रोक लगा दी। जहाँ तक प्रत्यर्थी क्रमांक 1 का संबंध है, कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक स्वरूप भी इस मामले में लड़ना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार, हम अपील को निर्विरोध स्वीकार कर सकते थे। यद्यपि, चूंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आईबीसी की धारा 12 क की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न हुआ है, हम उक्त मुद्दे को निराकृत करने के लिये मामले पर विचार करने हेतु इच्छुक हैं।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को सुना है।

9. डॉ. सिंघवी ने तर्क प्रस्तुत किया कि, यह पूर्ण रूप् से स्थापित है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी सीओसी के व्यावसायिक बुद्धिमता पर अपील में नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने तर्क किया कि सीओसी ने 94.23% के मतदान बहुमत के साथ समाधान योजना को स्वीकार करने कर लिया है, विद्वान एनसीएलटी और विद्वान एनसीएलएटी ने निपटान योजना को निरस्त एवं सीआईआरपी को वापसी को अस्वीकार करने में घोर त्रुटि कारित की है।

10. डॉ. सिंघवी ने तर्क प्रस्तुत किया कि, आईबीसी के मुख्य उद्देश्यों में से एक निगमित ऋणदाता को एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की अनुमति देना है और साथ ही, लेनदारों के बकाया का अधिकतम भुगतान करना। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान एनसीएलएटी द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2022 को पारित आलोच्य निर्णय और विद्वान एनसीएलटी द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को पारित आदेश आईबीसी की मूल भावना के प्रतिकूल है।

11. इन तर्कों पर विचार करने के लिए, आईबीसी की धारा 12 क का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः "12-क. धारा 7,9 या 10 के तहत स्वीकार किए गए आवेदन को वापिस लेना- न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, लेनदारों की समिति के मतदान अंश के 90% अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण किए गए आवेदन को ऐसी रीति में, विनिर्दिष्ट की जाए , वापस लेना अनुज्ञात कर सकेगा।

12. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि आईबीसी की धारा 12 क के प्रावधान को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता,2018 (2018 का अधिनियम क्रमांक 26) के माध्यम से लाया गया था। 2018 के अधिनियम संख्या 26 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण (संक्षेप में "एसओआर") से पता चलता है कि 2016 में आईबीसी के अधिनियमित होने के बाद, यह प्रकट हुआ था कि आईबीसी को और बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार ने आईबीसी के कार्य पद्धिति और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक दिवाला विधि समिति (एतिस्मनपश्चात "उक्त समिति" के रूप में संदर्भित किया गया है) का गठन किया गया। एसओआर आगे बताएगा कि उक्त समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार आईबीसी में संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। प्रस्तावित संशोधनों में से एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किए गए सीआईआरपी की शुरुआत के लिए आवेदन को वापस लेने का प्रावधान करना था। यह सिफारिश की गई थी कि इस तरह के वापसी की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते सीओसी 90 % मत अंश के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को अनुमोदित करें।

13. 26 मार्च 2018 की उक्त समिति की रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशों के खंड (vii) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" (vii) ग्रहण के बाद सीआईआरपी के लिए आवेदन वापस लेने की आवश्यकता वाली असाधारण परिस्थितियों को पूरा करने के लिए, ऐसे निकास की अनुमति देने की सिफारिश की गई है बशर्ते सीओसी 90% मतांश द्वारा ऐसी कार्यवाही को अनुमोदित करें। "

14. रिपोर्ट के पैराग्राफ (29) का संदर्भ लेना भी प्रासंगिक होगा। उक्त समिति का, जो इस प्रकार हैः

**"29.1 सीआईआरपी कार्यवाहियों का समाधान के अनुशरण में वापस लेना**

29.1 सीआईआरपी नियमों के निमय 8 के अंतर्गत, एनसीएलटी ग्रहण से पहले आवेदक के अनुरोध पर आवेदन वापस लेना की अनुमति दे सकता है। यद्यपि कि, सीआईआरपी आवेदन के ग्रहण के बाद वापसी की अनुमति के संबंध में संहिता या सीआईआरपी नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। समिति द्वारा यह देखा गया कि ऐसे उदाहरण हैं जहां आवेदक लेनदार और निगमित देनदार के बीच समझौते के कारण, सीआईआरपी को वापस लेने के लिए न्यायिक अनुमति दी गई थी। यह बीएलआरसी रिपोर्ट में निहित संहिता के उद्देश्य के आलोक में अभ्यास पर विचार-विमर्श किया गया था, कि संहिता की रूपरेखा यह सुनिश्चित करने पर आधारित है कि "सभी प्रमुख हितधारक सामूहिक रूप से व्यवहार्यता का आकलन करने में भाग लेंगे। विधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लेनदार जिनके पास इच्छा और क्षमता है उनकी देनदारियों को पुनर्गठन वार्ता प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। उन सभी लेनदारों की देनदारियों जो वार्ता

प्रक्रिया का भाग नहीं हैं, उन्हे भी किसी भी वार्ता प्रक्रिया से समाधान किया जाना चाहिए। " इस प्रकार, इस बात पर सहमति हुई कि एक बार सीआईआरपी प्रारंभ होने के पश्चात, यह अब केवल आवेदक लेनदार और निगमित देनदार के मध्य की कार्यवाही नहीं रह जायेगी । अपितु निगमित देनदारो के सभी लेनदारों को शामिल करने वाली एक कार्यवाही होने की परिकल्पना की गई है। संहिता का उद्देश्य सभी लेनदारों के सामान्य लाभ को छोडकर प्रवर्तन और समाधान के लिए व्यक्तिगत कार्यों को हतोत्साहित करना है।

29.2 इस संबंध में कई एनसीएलटी और एनसीएलएटी निर्णयों की समीक्षा करने पर, जो सुसंगत स्वरूप सामने उत्पन्न हुआ था वह यह था कि, वापसी के उद्देश्य के लिये सभी लेनदारों और देनदार के मध्य समझौता किया जा सकता है, न कि केवल आवेदक लेनदार और देनदार के मध्य। उक्त उपरोक्त आधारो पर संहिता की मंशा के साथ पढे जाने पर। **समिति सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करता है, कि यदि सीओसी नब्बे प्रतिशत के मतांश से ऐसी कार्रवाई को अनुमोदित करता है तो ग्रहण के पश्चात वापसी के प्रावधान के लिये प्रासंगिक नियमों में संशोधन किया जा सकता है**। यह विशेष रूप से चर्चा की गई कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 11 को इस स्तर पर सीआईआरपी के इस पहलू के लिए नहीं अपनाया जा सकता है (जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरा फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध. मोना फार्मेसी) और अन्यथा भी, क्योंकि इस मुद्दे को विशेष रूप से सीआईआरपी नियमों के नियम 8 में संशोधन करके संबोधित किया जा सकता है। "

15. इस प्रकार उक्त समिति की रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि उक्त समिति ने पाया था कि ऐसे उदाहरण हैं, जहां आवेदक लेनदार और निगमित देनदार के बीच समझौते के कारण, सीआईआरपी को वापस लेने के लिए न्यायिक अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट से आगे पता चलेगा कि यह बैंकिंग कानून सुधार समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करती है जो इस बात पर जोर देता है कि कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लेनदार जिनके पास अपनी देनदारियों को पुनर्गठित करने की क्षमता और इच्छा है, उन्हें वार्तालाप प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। यह इस बात पर भी जोर देता है कि उन सभी लेनदारों की देनदारियां जो वार्तालाप प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं, किसी भी वार्तालाप के समाधान में भी पूरा किया जाना चाहिए। उक्त समिति का कहना है कि एक बार सीआईआरपी प्रारंभ होने के पश्चात, यह अब केवल आवेदक लेनदार और निगमित देनदार के बीच की कार्यवाही नहीं है, बल्कि देनदार के सभी लेनदारों को शामिल करने वाली कार्यवाही होने की परिकल्पना की गई है। आईबीसी का उद्देश्य सभी लेनदारों के सामान्य लाभ का छोंडकर प्रवर्तन और समाधान के लिए व्यक्तिगत कार्यों को हतोत्साहित करना है। रिपोर्ट से आगे पता चलेगा कि सभी लेनदारों और देनदार के बीच वापसी के लिए समझौता किया जा सकता है, न कि केवल आवेदक लेनदार और देनदार के लिए। अतः उक्त समिति ने सिफारिश

की कि यदि सीओसी 90% के मतदान अंश से ऐसी कार्रवाई का अनुमोदन करती है तो ग्रहण के पश्चात वापसी का प्रावधान करने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

16. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आईबीसी की धारा 12 क को उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधिक स्वरूप दिया गया था। यह देखा जा सकता है कि यद्यपि 2018 के संशोधन अधिनियम क्रमांक 26 द्वारा, समाधान योजना के अनुमोदन के लिए सीओसी के 75 % मतदान अंश को घटाकर 66 % कर दिया गया था, आईबीसी की धारा 12 क जिसे उसी संशोधन द्वारा विधि का भाग बनाया गया था, सीआईआरपी को वापस लेने की मंजूरी के लिए सीओसी के 90% मतदान हिस्से की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जहां तक सीआईआरपी की वापसी का संबंध है तो एक अधिक कठोर प्रावधान किया गया है।

17. यह भी ध्यान देने योग्य है कि आईबीसी की धारा 12 क को विधि पुस्तक में लाए जाने के पश्चात, 2016 विनियमों के विनियमन 30 क दिनांक 3 जुलाई 2018 की अधिसूचना के माध्यम से समाहित किया गया। इसे दिनांक 25 जुलाई 2019 की अधिसूचना के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया। 2016 के विनियमों का विनियमन 30 क इस प्रकार हैः

**" 30 - क. आवेदन वापस लेना —** ( 1 ) धारा 12-ए के अंतर्गत वापसी के लिए एक आवेदन न्यायनिर्णायक प्रधिकारी को किया जा सकता है-

( क) समिति के गठन से पहले, आवेदक द्वारा अंतरिम संकल्प वृतिक के माध्यम से;

( ख) समिति के गठन के बाद, आवेदक द्वारा अंतरिम संकल्प वृतिक या संकल्प वृतिक के माध्यम से, जैसी भी परिस्थित हो, हो सकता है:

बशर्ते कि जहां 36 क विनियमन के अंतर्गत रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण जारी होने के बाद खंड (ख) के अंतर्गत आवेदन किया जाता है, आवेदक, ऐसे आमंत्रण जारी होने के बाद वापसी को उचित ठहराने वाले कारणों का उल्लेख करेगा।

( 2 ) उप-विनियम (1) के तहत आवेदन बैंक गारंटी के साथ संलग्न अनुसूची के प्रारूप एफ-ए में किया जाएगा।

( क) उप-खंड(1) के खंड (क) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक, विनियमन 33 के प्रायोजनों के लिए अंतरिम समाधान वृतिक पर या उसके द्वारा किए गए अनुमानित खर्चों के लिए ; या

( ख) उप-खंड (1) के खंड (ख) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक, विनयमन 31 के खंड (एए), (एबी), (सी) और (डी) के प्रायोजनों के लिए किये गए अनुमानित खर्चो के लिए।

( 3 ) जहां वापसी के लिए आवेदन उप-खंड (1) के खंड (क) के अंतर्गत है, अंतरिम समाधान वृतिक आवेदक की ओर से उसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

( 4 ) जहां वापसी के लिए आवेदन उप-खंड (1) के खंड (ख) के तहत है, समिति आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उस पर विचार करेगी।

( 5 ) जहां उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट आवेदन को समिति द्वारा 90% मतदान अंश के साथ अनुमोदित किया जाता है, वहां समाधान वृतिक ऐसे अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर आवेदक की ओर से समिति के अनुमोदन के साथ ऐसा आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

( 6 ) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आदेश द्वारा, उप-विनियम (3) या (5) के अतंर्गत प्रस्तुत आवेदन को मंजूर कर सकता है।

( 7 ) जहां उप-विनियम (6) के अंतर्गत आवेदन को मंजूरी दी जाती है, वहां आवेदक खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों के लिए एक राशि जमा करना होगा । उप-विनियम (2) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की दिनांक तक, जैसा कि अंतरिम समाधान वृतिक या समाधान वृतिक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसी मंजूरी के तीन दिनों के भीतर, निगमित देनदार के बैंक खाते में, असफल होने पर उप-विनियम (2) के अंतर्गत प्राप्त बैंक गारंटी को संहिता के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध अनुमत किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू किया जाएगा।

18. उक्त विनियमन के अवलोकन से पता चलता है कि आईबीसी की धारा 12 क  के अंतर्गत वापसी के लिए आवेदन समिति के गठन के बाद किया जाता है, उसे अंतरिम समाधान वृतिक या समाधान वृतिक के माध्यम से किया जाना चाहिए, जैसा भी परिस्थिति हो। आवेदन फार्म-एफए में करना होगा।  इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि जब विनियम 36 क के अंतर्गत रूचि की अभिव्यक्ति के लिये निमंत्रण जारी होने के बाद कोई आवेदन किया जाता है तो आवेदक को इसे वापिस लेने को उचित ठहराने वाले कारणों को बताने की आवश्यकता होती है।  आरपी को ऐसे आवेदनों को समिति के समक्ष विचार्थ रखना आवश्यक है। 90 % मतदान अंश के साथ समिति द्वारा इस तरह के आवेदन को मंजूरी दिए जाने के बाद ही आरपी इसे समिति की मंजूरी के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 2016 के विनियमों के विनियम 30 क के तहत भी एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

19. **स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**[1], के मामले में आईबीसी की धारा 12 क की वैधता को भी चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि 90% मतदान अंश का आंकड़ा मनमाना था। यह तर्क था कि यद्यपि वापसी उचित और सही होने के पश्चात भी सीओसी इस तरह के समझौते को अस्वीकार करने के लिए मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उक्त तर्क को खाजिर करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

> " **83.** धारा 12-क के प्रावधान का मुख्य बल इस तथ्य पर है कि 90% लेनदारों की समिति को वापसी की अनुमति देनी होती है। इस उच्च सीमा को आईएलसी रिपोर्ट में समझाया गया है क्योंकि सभी वित्तीय लेनदारों को इस तरह की वापसी की अनुमति देने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा, आदर्श रूप से, सभी लेनदारों को शामिल करते हुए एक सर्वव्यापक समझौता किया जाना चाहिए। यह बताता है कि 90%, जो कि मोटे तौर पर सभी वित्तीय ऋणदाताओं को कहा जाता हैं, को किसी व्यक्ति को अपनी मंजूरी क्यों देनी पड़ती है। किसी भी मामले में, 90% का आंकड़ा यह दिखाने के लिये के और कुछ के अभाव में कि यह मनमाना है, विधायी नीति के अधिकारिता से संबंध रखता है, जिसे रिपोर्ट (सुप्रा) द्वारा समझाया गया है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा ६० के अनुसार, लेनदारों की समिति के पास इस विषय पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार नहीं है। यदि लेनदारों की समिति मनमाने ढंग से एक न्यायसंगत समाधान और/या वापसी दावे को अस्वीकार करती है, तो संहिता की धारा ६० के अंतर्गत एनसीएलटी, और उसके बाद, एनसीएलएटी सदैव इस तरह के निर्णय को रदद कर सकता है। इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि धारा 12-क भी संवैधानिक रूप से भी सही है। "

20. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह पाया है कि यदि सीओसी मनमाने ढंग से एक न्यायसंगत समाधान और/या वापसी के दावे को अस्वीकार करता है, तो विद्वान एनसीएलटी और उसके बाद विद्वान एनसीएलएटी सदैव आईबीसी के प्रावधानों के अंतर्गत इस तरह के निर्णय को रद्दद कर सकता हैं।

21. इस न्यायालय ने निरंतर यह माना है कि सीओसी के व्यावसायिक बृद्धिमता को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के आईबीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर बताई गई प्रकियाओं को पूरा करने को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। एक आंतरिक धारणा अभिनिर्धारित हो चुका है कि वित्तीय लेनदारों को निगमित देनदार की व्यवहार्यता और प्रस्तावित समाधान योजना की उपयुक्तता के बारे में पूरी जानकारी होती है। वे प्रस्तावित समाधान योजना की गहन जांच और उनके विशेषज्ञों की टीम द्वारा किए गए

मूल्यांकन के आधार पर कार्य करते हैं। इस संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है; ***के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक व अन्य[2] , एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति ब. सतीश कुमार गुप्ता और अन्य[3] ,*** **महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य[4]**, **कल्पराज धर्मशी और एक अन्य बनाम कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और अन्य[5]**, और **जेपी केंसिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड अनर्स बनाम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य [6]** ।

22. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय द्वारा सीओसी की शक्तियों पर विचार करते समय संकल्प योजना को अनुमोदित करते हुए दी गई हैं।

23. जैसा कि पहले ही ऊपर आ चुका है, कि आईबीसी की धारा 12 क के अंतर्गत प्रावधानों को आईबीसी की धारा 30 ( 4 ) की तुलना में अधिक कठोर बना दिया गया है। जबकि आईबीसी की धारा 30 (4) के अंतर्गत, समाधान योजना को अनुमोदित करने के लिए सीओसी का मतदान अंश 66 % है, आईबीसी की धारा 12 क के अंतर्गत सीआईआरपी को वापस लेने के लिये 90% मतांश की आवश्यकता है।

24. जब 90 % और उससे अधिक लेनदारों को उचित विचार-विमर्श के बाद अपने विवेक से यह पाते है कि यह सभी हितधारकों के हित में होगा कि वे समाधान की अनुमति दें और सीआईआरपी को वापस लें, तो हमारे विचार में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण सीओसी के वाणिज्यिक बुद्धिमता पर अपील में नहीं बैठ सकता है। हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक होगा जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी सीओसी के निर्णय को पूरी तरह से मनमाना, तर्कहीन और विधि या नियमों के प्रावधानों से प्रतिकूल पाता है।

25. वर्तमान मामले में सीओसी की 13 वीं, 14 वीं और 15 वीं बैठकों की कार्यवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सीओसी के सदस्यों के बीच निपटान योजना पर विचार करते समय व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। इतना ही नहीं, कार्यवाही से यह भी पता चलेगा कि सीओसी के कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद, अपीलार्थी द्वारा समाधान योजना में उपयुक्त संशोधन किए गए थे। सीओसी के सदस्यों में से एक ने 23.60% के मतदान अंश के साथ, यद्यपि प्रारंभ में समाधान योजना का विरोध किया, बाद में उसी का समर्थन करने का फैसला किया । तदनुसार, एनसीएल टी ने स्वयं 29 मार्च 2021 के आदेश के माध्यम से आरपी को सीओसी की बैठक फिर से बुलाने का निर्देश दिया। एनसीएल के निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 को सीओसी की 17 वीं बैठक फिर से बुलाई गई, जिसमें समाधान योजना को 94.23% मतों से अनुमोदित की गई।

26. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सीओसी का निर्णय सीओसी के सदस्यों द्वारा समाधान योजना के पक्ष और विपक्ष का आंकलन करने के लिए उचित विचार-विमर्श करने के पश्चात अपने व्यावसायिक बुद्धिमता का उपयोग करते हुए लिया गया था। इसलिए हमारा सुविचारित मत है सीओसी के व्यावसायिक बुद्धिमता को युक्तियुक्त महत्व न दिया जाने के संबंध में, न तो विद्वान एनसीएलटी और न ही विद्वान एनसीएलएटीसीओसी न्यायोचित थे।

27. इस न्यायालय ने बार-बार पर आईबीसी के स्वरूप में एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया है। *हम* ***अरुण कुमार जगतरामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य*** [7] ***;*** नवीन मामले में इसी न्यायालय के द्वारा दिये गये अभिमत का संदर्भ ले सकते है।

**" 95.** ..... यद्यपि, हम इस अवसर पर एनसीएलटी और एनसीएलएटी को आईबीसी के परिकल्पित ढांचे में न्यायिक रूप से हस्तक्षेप करने से सावधानी बरतने के लिए सुझाव देते है, जो क्रमशः आईबीसी के अंतर्गत न्यायिक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते है। जैसा कि हमने निर्णय में पूर्ववत उल्लेख किया है, आईबीसी को भारत में दिवाला और दिवालियापन व्यवस्था को जीर्णोंद्धार के लिये प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, यह एक सावधानीपूर्वक विचार किया गया और अच्छी तरह से सोच समझकर बनाया गया विधि है जो अतीत की प्रथाओं को दूर करने का प्रयास करता हैं। विधायिका भी अपने अनुभव के आधार पर इसमें लगातार संशोधन करके यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है कि इस विधि की प्रभावशीलता मजबूत बनी रहे। परिणामस्वरूप, एनसीएलटी और एनसीएलएटी से हस्तक्षेप या नवाचार की आवश्यकता को न्यूनतम रखा जाना चाहिए, और आईबीसी के मूलभूत ढॉचे को बाधित नहीं करना चाहिए।

28. परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंः

(i) अपीलें स्वीकार की जाती हैं;

(ii) विद्वान एनसीएलएटी का दिनांक 28 जनवरी 2022 को पारित आलोच्य निर्णय कंपनी अपील(एटी)(सीएच)(दिवाला) क्रमांक 211 और 212/2021 और दिनांक 12 अगस्त 2021 को विद्वान एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश एमए/43/सीएचई/2021 में आईबीए/453/2019 और आईए/837/ आईबी/2020 में आईबीए/453/2019 को विखंडित और अपास्त किया जाता है।

(iii) आईबीए/453/2019 में एमए/43/सीएचई/2021/ क्रमांक वाले आवेदन जो कि सीआईआरपी को वापस लेने के लिए विद्वान एनसीएलटी के समक्ष समाधान वृतिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, को अनुमति दी जाती है।

29. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो तो, का निपटारा उपरोक्तानुसार कर दिया गया है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

अपीलें स्वीकार की गई।

1-(2019) 4-SCC 17

2-(2019) 12-SCC 150

3-(2020) 8-SCC 531

4-(2020) 11-SCC 467

5-(2020) 10-SCC 401

6-(2022) 1-SCC 401

7-(2021) 7-SCC 474

अब्दुल्लाह अहमद, अष्टम जिला न्यायाधीश, जिला सागर
द्वारा अनुवादित ।